



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06012022-232443
CG-DL-E-06012022-232443

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 59]
No. 59]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 5, 2022/पौष 15, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 5, 2022/PAUSHA 15, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी, 2022

का.आ. 60 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में खम्मम - देवरापल्ली ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365BG के कि.मी. 89.874 से कि.मी. 162.126 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जॉइंट कलेक्टर (V, WS & D) एलुरु को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितवद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के पश्चिम गोदावरी जिले में खम्मम - देवरापल्ली ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 365BG के कि.मी. 89.874 से कि.मी. 162.126 (ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एलुरु) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: आंध्र प्रदेश		जिले का नाम: पश्चिम गोदावरी			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: चिन्तालापुडी					
गांव का नाम: राघवापुरम					
1	34-12	सरकारी(गयालु)	डीआर्वाइ	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000
2	85-3B	निजी	डीआर्वाइ	121.0000000(वर्ग मीटर)	0.0121000
3	85-4B	निजी	डबल्यूईटी	3,359.0000000(वर्ग मीटर)	0.3359000
गांव का नाम: रेचर्ला					
1	108-7B	निजी	डीआर्वाइ	41.0000000(वर्ग मीटर)	0.0041000
2	108-8B	निजी	डीआर्वाइ	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
तालुक का नाम: देवरापल्ली					
गांव का नाम: देवरापल्ली					
1	596-1C	निजी	डीआर्वाइ	1,659.0000000(वर्ग मीटर)	0.1659000
2	596-4C	निजी	डीआर्वाइ	1,376.0000000(वर्ग मीटर)	0.1376000
गांव का नाम: एडाबोलु					
1	462-3A1	निजी	डीआर्वाइ	81.0000000(वर्ग मीटर)	0.0081000
2	462-3E1	निजी	डीआर्वाइ	162.0000000(वर्ग मीटर)	0.0162000
3	488-1B	निजी	डीआर्वाइ	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
4	492-8	निजी	डीआर्वाइ	40.0000000(वर्ग मीटर)	0.0040000
तालुक का नाम: टी.नरसापुरम					
गांव का नाम: गुरावाईगुडेम					
1	7-2A2	निजी	डीआर्वाइ	202.0000000(वर्ग मीटर)	0.0202000
2	7-2A4	निजी	डीआर्वाइ	324.0000000(वर्ग मीटर)	0.0324000

गांव का नाम: टी.नरसापुरम					
1	686-6A	निजी	द्वै	20.0000000(वर्ग मीटर)	0.0020000
कुल				7,789.0000	0.7789

[फा. सं. NHAI/PIU-KMM/K-D/DPR/LA/Addl 3a/2018/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th January, 2022

S.O. 60(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder / four laning etc.), maintenance, management and operation of KHAMMAM - DEVARAPALLI Greenfield National Highway No. 365BG in the stretch of land from Km 89.874 to Km 162.126 in the district of WEST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Joint Collector (V, WS&D) Eluru in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3(C) of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of Khammam-Devarapalli greenfield National Highway No.365BG in the stretch of land from Km 89.874 to Km 162.126 in the district of WEST GODAVARI in the state of ANDHRA PRADESH.

State: ANDHRA PRADESH			District: WEST GODAVARI		
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature Of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Chintalapudi					
Village: Raghavapuram					
1	34-12	Government(GAYALU)	DRY	324.0000000(Square Meter)	0.0324000

2	85-3B	Private	DRY	121.0000000(Square Meter)	0.0121000
3	85-4B	Private	WET	3,359.0000000(Square Meter)	0.3359000
Village: Recharla					
1	108-7B	Private	DRY	41.0000000(Square Meter)	0.0041000
2	108-8B	Private	DRY	40.0000000(Square Meter)	0.0040000
Taluk: Devarapalli					
Village: Devarapalli					
1	596-1C	Private	DRY	1,659.0000000(Square Meter)	0.1659000
2	596-4C	Private	DRY	1,376.0000000(Square Meter)	0.1376000
Village: Yadavolu					
1	462-3A1	Private	DRY	81.0000000(Square Meter)	0.0081000
2	462-3E1	Private	DRY	162.0000000(Square Meter)	0.0162000
3	488-1B	Private	DRY	40.0000000(Square Meter)	0.0040000
4	492-8	Private	DRY	40.0000000(Square Meter)	0.0040000
Taluk: T.Narasapuram					
Village: Guravaigudem					
1	7-2A2	Private	DRY	202.0000000(Square Meter)	0.0202000
2	7-2A4	Private	DRY	324.0000000(Square Meter)	0.0324000
Village: T.Narasapuram					
1	686-6A	Private	Dry	20.0000000(Square Meter)	0.0020000
Total				7,789.0000	0.7789

[F. No. NHAI/PIU-KMM/K-D/DPR/LA/Addl 3a/2018/3A]

RAJESH GUPTA, Director